



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032026-270618
CG-DL-E-02032026-270618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1058]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1058]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

का.आ. 1110(अ).—केंद्रीय सरकार, नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उप-नियम (1) और (3) के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 6 ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्: -

(i) नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उप-नियम (1) और नियम 13 क के प्रयोजनों के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नामित भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से अन्यून अधिकारी की अध्यक्षता में दो सशक्त समितियां भी गठित की जाती हैं, जिसमें प्रत्येक सशक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) भारत सरकार के अवर सचिव की स्तर से अन्यून सहायक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी;

(ख) भारत सरकार के अवर सचिव की स्तर से अन्यून अधिकारी, क्षेत्राधिकार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी द्वारा नामित;

(ग) भारत सरकार के अवर सचिव की स्तर से अन्यून अधिकारी, पश्चिम बंगाल राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राज्य सूचना अधिकारी द्वारा नामित; तथा

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य के पोस्ट मास्टर जनरल या भारत सरकार के अवर सचिव की स्तर से अन्यून पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा नामित किया जाने वाला डाक अधिकारी;

(ii) निम्नलिखित अधिकारी सशक्त समिति के आमंत्रिती होंगे, अर्थात्: -

(क) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के प्रधान सचिव (गृह) या अपर मुख्य सचिव (गृह) के कार्यालय से एक प्रतिनिधि; तथा

(ख) क्षेत्राधिकार वाले प्रभागीय रेल प्रबंधक, रेलवे का एक प्रतिनिधि;

2. अन्य नियम व शर्तें वही होंगी जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड

(ii), दिनांक 11 मार्च, 2024 में प्रकाशित आदेश संख्या का.आ. 1231(ई), दिनांक 11 मार्च, 2024 में दी गई हैं।

[फा. सं. 26011/01/2015-आईसी-1 (भाग)]

गया प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 2026

S.O. 1110(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) read with sub-rules (1) and (3) of rule 11A of the Citizenship Rules, 2009, the Central Government hereby specifies the following, namely:-

(i) For the purposes of sub-rule (1) of rule 11A and rule 13A of the Citizenship Rules, 2009, two Empowered Committees for the State of West Bengal, headed by officers not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Registrar General and Census Commissioner of India, are also constituted and each Empowered Committee shall consist of the following officers as members, namely: -

(a) an officer in the Subsidiary Intelligence Bureau not below the rank of Under Secretary to the Government of India;

(b) an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India, to be nominated by the jurisdictional Foreigners Regional Registration Officer concerned;

- (c) an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India, to be nominated by the State Informatics Officer of National Informatics Centre of the State of West Bengal; and
- (d) Post Master General of the State of West Bengal or a Postal Officer to be nominated by the Post Master General not below the rank of Under Secretary to the Government of India;
- (ii) the following officers shall be invitees to the Empowered Committee, namely: -
- (a) a representative from the office of the Principal Secretary (Home) or Additional Chief Secretary (Home) of the State Government of West Bengal; and
- (b) a representative of jurisdictional Divisional Railway Manager of Railways;

2. Other terms and conditions shall be the same as provided in the order issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs *vide* order number S.O. 1231(E), dated the 11th March, 2024 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 11th March, 2024.

[F. No. 26011/01/2015-IC-I(Part)]

GAYA PRASAD, Jt. Secy.